कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

फा.क्र./स्थापना/एक/2016/32450 कोरबा,दिनांक 17.03.2016

–: आदेश :–

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन नया रायपुर के परिपत्र क्र./स्था/एक/वि/700/2015/508 नया रायपुर दिनांक 20.01.2016 द्वारा उप अभियंताओं की संचालनालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा हेतु चयनित एवं अनुशंसित किये गये अभ्यर्थियों की सूची नियमित सीधी भर्ती करने हेतु मेयर इन कांउसिल की अनुशंसा दिनांक 28.01.2016 अनुरूप उप अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान 9300–34800+4200 पर शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता अंतर्गत 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम
01.	श्री संदीप गोयल
02.	श्री आकाश अग्रवाल
03	श्री पीयूष राजपूत
04.	रश्मी उर्मलिया
05	गुलिस्ता साहू
06.	श्री अनिल कुमार राम
07	श्री अश्वनी कुमार दास
08	श्री सोमनाथ देहरे
09	अंजूला कुमारी अनंत
10.	श्री बसंत कुमार सिदार
11.	श्री अभय कुमार मिंज
12	श्री प्रमोद कुमार जगत
13.	अंजूलता तिग्गा

नियुक्ति की सेवा एवं अन्य शर्तें छ.ग. शासन, नगर पालिका अधिनियम 1956 तथा शासन द्वारा स्वीकृत छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम 2007 के अधीन होगी :–

नियुक्ति की शर्तें :–

1. नियुक्ति के पश्चात् प्रमाण पत्रों के सत्यापन में यदि प्रमाण पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाते हैं तो जारी आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
2. परीवीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा निगम को इनकी सेवाओं की आगे आवश्यकता न होने पर परीवीक्षा अवधि में कभी भी इनकी सेवाएं एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
3. त्यागपत्र की दशा में इन्हें एक माह पूर्व नोटिस अनिवार्य रूप से देना होगा, अन्यथा एक माह का वेतन भत्ता सहित राशि निगम कोष में नगद जमा करना होगा।
4. शारीरिक सक्षमता का प्रमाण–पत्र प्रमुख चिकित्सक, जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के समय निश्चित रूप से जमा करना होगा।
5. इनके चाल–चलन के संबंध में पुलिस विभाग से जांच कराई जावेगी एवं जांच रिपोर्ट विपरीत आने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
6. आचरण एवं व्यक्तित्व के संबंध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना

E:\Work Odred

क्रमशः//2//

अनिवार्य होगा।

7. नियुक्त व्यक्ति को अपने जन्म के संबंध में प्रमाण–पत्र एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. ऑटो कैड कैम्प में डिप्लोमा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
9. क्र. 02, 04, 06, 07 एवं 11 के अभ्यर्थियों को छः माह के भीतर ऑटो केड कैम्प में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्ति आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा। कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, उक्त वांछित प्रमाण पत्र, 02 नग वर्तमान का कलर पासपोर्ट साईज फोटो एवं 01 नग सेवा पुस्तिका जमा करना अनिवार्य होगा।
11. नियुक्त किये गए कर्मचारी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति, रोजगार पंजीयन इत्यादि के संबंध में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कर्मचारी की होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाई जाती है तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

16/03/16
आयुक्त
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)
कोरबा,दिनांक 17.03.2016

पृष्ठा.क./स्था./एक/2015–16/ 32451-32471

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
4. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला–कोरबा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रमुख चिकित्सक/मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. सर्वसंबंधित कु/श्री/श्रीमती/कु. .... को सूचनार्थ प्रेषित्। उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय शारीरिक योग्यता संबंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र, सेवा–पुस्तिका (कोरी) व दो नग पासपोर्ट साईज फोटो एवं अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निश्चित रूप से जमा करना अनिवार्य है।
8. प्रभारी अधिकारी, स्थापना/लेखा/निर्माण/योजना/जल संधारण/वाहन/भवन निर्माण अनुमति/स्टोर/विद्युत शाखा नगर पालिक निगम, कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/03/16
आयुक्त
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)